

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांक : प.12(3)वित्त/नियम/2010


जयपुर, दिनांक : 27 JUN 2018

आदेश

विषय : राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 55 के राजकीय निर्णय संख्या 3 में संशोधन के क्रम में।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 55(1)(b) में अधिसूचना क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30-10-2017 द्वारा संशोधन के उपरान्त नियम 55 के साथ संलग्न राजकीय निर्णय संख्या 3 को विलोपित करते हुए यह निर्णय किया जाता है कि एक राज्य कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर एवं उसका सेवा रिकार्ड अपूर्ण होने की स्थिति में Death Gratuity के प्रकरणों का निस्तारण नियम 97(b) के अनुसार किया जावे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञासे,


(मंजूरा/राजपाल)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार (A&E), राजस्थान, जयपुर
7. समस्त विभागाध्यक्ष
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त कोषाधिकारी
11. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
12. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग, सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर



(कीर्ति जैन)

संयुक्त शासन सचिव-II

(Pension - 08/2018)